

आदेश

राज्य पुनर्गठन आयोग, हरियाणा पंचकूला अधिसूचना SEC/2/ME/2018/674 दिनांक 13.02.2018 द्वारा उपायुक्त अतिम अपीलेंट अधीरिटी है। सरकार की अधिसूचना द्वारा अपील की अतिम तारीख 12.03.2018 थी जिसका अवकाश में प्रकाशन करवा दिया गया था। अपीलेंट अधीरिटी कन-उपायुक्त रेवाड़ी द्वारा दिनांक 12.03.2018 को सभी रिवाडीजिग अधीरिटी द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृत की गई अपील की सुनवाई की गई जिसमें कुल 38 अपील सुनी गईं तथा सभी 38 अपील का निपटान कर दिया है। इनमें से 3 व्यक्तिगत द्वारा जिनके नाम श्री गुलदयाल सेनी, श्री धर्मनंद सेनी व मनीष गुप्ता द्वारा एक वार्ड से दूसरे वार्ड में बड़ी संख्या में गलत रूप से तबदील किए गए वोटों की शिकायत अधोहस्ताक्षरी के सामुख पेश की गई। इन अपीलार्थियों द्वारा जो क. सं. दी गई है उसमें 431 वोट है जिन्हें 24 पण्ट के अन्दर-अन्दर जवाब देने बारे में शॉर्ट नोटिस दिया गया। 431 मतदाताओं में से 117 मतदाताओं ने नोटिस का जवाब दिया है तथा बाकी 314 मतदाताओं का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। सभी अपीलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	रिवाडीजिग अधीरिटी लिस्ट संख्या	प्राथी का नाम व पता	एतराज	निपटान	अपील	स्वीकृत / अस्वीकृत
1		पवन कुमार पुत्र सतवीर सिंह, उरम नगर, वार्ड नं० 12, रेवाड़ी।	वार्ड नं० 12 में ही स्थाने बारे में पत्र क्रमांक 111 / रीडर द्वारा रिवाडीजिग एवं अधीरिटी एंव जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया गया। जिसमें प्राथी का घर नगर परिसर रेवाड़ी क्षेत्र से बाहर है।	रिवाडीजिग अधीरिटी एंव जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया गया जिसमें प्राथी का घर नगरपरिसर रेवाड़ी क्षेत्र से बाहर है।	कार्यालय रिकार्ड अनुसार जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी द्वारा मौका निरीक्षण अनुसार प्राथी का घर नगरपरिसर रेवाड़ी क्षेत्र से बाहर होने के आधार पर आपत्ति को अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा मौखिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई कि उसका मकान नगर परिसर रेवाड़ी क्षेत्र से बाहर है। किन्तु उसने अपने पत्र में कहा कि उसने पहले भी वोट डाला है तथा उस क्षेत्र में अन्य भी कई लोगों के वोट बने हुए हैं। अपीलार्थी द्वारा वार्ड नं० वोट बनाये जाने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया। अतः अपील अस्वीकृत की जाती है।	अस्वीकृत

2/3

2017

2	79	सुरीराम पुत्र राजाराम, कमला नगर, वार्ड नं० 6 रेवाड़ी।	वार्ड नं० 7 से वार्ड नं० 6 में दर्ज करने बारे।	विवाहदिन अथोरिटी कम जिला राजस्व अधिकारी से आपति दर्ज करवाने उपरान्त फार्म में गलती से वार्ड नं० 7 दर्ज हो गया।	अपीलार्थी सुनवाई के समय अनुपस्थित रहा तथा बी.एल.ओ. से रिपोर्ट ली गई जिसमें प्रार्थी वार्ड नं० 6 के निवासी है। अतः अपील स्वीकृत की जाती है।	स्वीकृत
3	83	नरत कुमार पुत्र सुशी राम, मी० वार्ड नं० 6, कमला नगर रेवाड़ी।	वार्ड नं० 7 से वार्ड नं० 6 में दर्ज करने बारे।	विवाहदिन अथोरिटी कम जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी से आपति दर्ज करवाने उपरान्त फार्म में गलती से वार्ड नं० 7 दर्ज हो गया।	अपीलार्थी सुनवाई के समय अनुपस्थित रहा तथा बी.एल.ओ. से रिपोर्ट ली गई जिसमें प्रार्थी वार्ड नं० 6 के निवासी है। अतः अपील स्वीकृत की जाती है।	स्वीकृत
4	85	शमनिकास पुत्र लक्ष्मी नारायण, वार्ड नं० 6, कमला नगर रेवाड़ी।	वार्ड नं० 7 से वार्ड नं० 6 में दर्ज करने बारे।	विवाहदिन अथोरिटी कम जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी से आपति दर्ज करवाने उपरान्त फार्म में गलती से वार्ड नं० 7 दर्ज हो गया।	अपीलार्थी सुनवाई के समय उपस्थित था, तथा बी.एल.ओ. से रिपोर्ट ली गई जिसमें प्रार्थी वार्ड नं० 6 के निवासी है। अतः अपील स्वीकृत की जाती है।	स्वीकृत
5	84	कपिल शर्मा पुत्र रामकिशन, वार्ड नं० 6 कमला नगर रेवाड़ी।	वार्ड नं० 7 से वार्ड नं० 6 में दर्ज करने बारे।	विवाहदिन अथोरिटी कम जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी से आपति दर्ज करवाने उपरान्त फार्म में गलती से वार्ड नं० 7 दर्ज हो गया।	अपीलार्थी सुनवाई के समय उपस्थित था, तथा बी.एल.ओ. से रिपोर्ट ली गई जिसमें प्रार्थी वार्ड नं० 6 के निवासी है। अतः अपील स्वीकृत की जाती है।	स्वीकृत
6	दूसरी लिस्ट नं० 17	श्रीमति मंदोदरी पत्नी श्री बाबूलाल, वार्ड नं० 6 विकास नगर, कालाका रोड रेवाड़ी।	वार्ड नं० 8 से नाम हटा दिया गया है उसी वार्ड में वोट रखने बारे में।	एस.डी.ओ. पधायत राज रेवाड़ी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी उस वार्ड से मजान बंध कर चले गये है।	अपीलार्थी अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी का वॉटर आई-डी कार्ड तथा अपीलार्थी के पति के नाम विजली का नवीनतम बिल प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी वर्णित वार्ड का सामान्यतः निवासी है। अतः अपील स्वीकृत की जाती है।	स्वीकृत
7	141	सुनीता पत्नी राकेश, वार्ड नं० 6 विकास नगर, कालाका रोड रेवाड़ी।	वार्ड नं० 6 में ही वोट रखने बारे में।	विवाहदिन अथोरिटी कम-जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी के पत्र क्रमांक 150/शेडर दिनांक 06/03/2018 द्वारा फं.सं. 141 में ट्राइबिंग की गलती से सुजा शर्मा पत्नी अशोक लिखा गया है। जबकि उसका स्वी नाम सुनीता पत्नी राकेश है।	प्रार्थी का नाम लिस्ट में गलत लिखा गया। अतः प्रार्थी द्वारा ली गई अपील को स्वीकृत किया जाता है।	स्वीकृत

20/11

8	12, 13, 14, 17	अंतर रिक्त पुत्र शमसुख सेलवे कालोनी रेवाड़ी।	वार्ड नं० 27 से 26 वार्ड में दर्ज करवाने बारे।	गलती से फार्म नं 28 भरने बारे में इस कारण से फार्म रिजक्ट होने बारे में तथा फार्म क भरने बारे में।	अपीलार्थी सुनवाई के समय अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी द्वारा दिया गया क सं 12 का क' फार्म पूर्ण पाया गया जो स्वीकृत किया जाता है तथा क सं 13, 14, 17 के फार्म प्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये। इन पर भी एलओ से रिपोर्ट ली गई तथा तदनुसार अपील में उठाई गई बात ठीक पाई गई। इसलिए इनकी अपील अस्वीकृत की जाती है।	आंशिक स्वीकृत
9	15, 16, 18, 19, 20, 21, 47	पूरजमान पुत्र हरदेव निवासी शिव कालोनी रेवाड़ी।	वार्ड नं० 27 से 26 वार्ड में दर्ज करवाने बारे।	गलती से फार्म नं 28 भरने बारे में इस कारण से फार्म रिजक्ट होने बारे में तथा फार्म क भरने बारे में	अपीलार्थी सुनवाई के समय अनुपस्थित रहा। सही फार्म पूर्ण पाये गये। इन पर भी एलओ से रिपोर्ट ली गई तथा तदनुसार अपील में उठाई गई बात ठीक पाई गई। अतः इनकी अपील स्वीकृत की जाती है।	स्वीकृत
10	31, 32, 33, 54	भरत कुमार पुत्र खुशी राम मीठ वार्ड नं० 6 अमला नगर रेवाड़ी।	वार्ड नं० 27 से 26 वार्ड में दर्ज करवाने बारे।	गलती से फार्म नं 28 भरने बारे में इस कारण से फार्म रिजक्ट होने बारे में तथा फार्म क भरने बारे में	अपीलार्थी अपील के समय उपस्थित रहा। अपीलार्थी द्वारा जमा करवाए गए सही फार्म पूर्ण पाये गये। इन पर भी एलओ से रिपोर्ट ली गई तथा तदनुसार अपील में उठाई गई बात ठीक पाई गई। अतः इनकी अपील स्वीकृत की जाती है।	स्वीकृत
11	22, 23, 24, 25	रामनिवास पुत्र लक्ष्मी नारायण वार्ड नं० 6 कनला नगर रेवाड़ी।	वार्ड नं० 27 से 26 वार्ड में दर्ज करवाने बारे।	गलती से फार्म नं 28 भरने बारे में इस कारण से फार्म रिजक्ट होने बारे में तथा फार्म क भरने बारे में	अपीलार्थी सुनवाई के समय अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी द्वारा क सं 22 का क' फार्म प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए क सं 22 को अस्वीकृत किया जाता है तथा 23, 24, 25 का क' फार्म प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया है। इन पर भी एलओ से रिपोर्ट ली गई तथा तदनुसार अपील में उठाई गई बात ठीक पाई गई। अतः क सं 23, 24, 25 को स्वीकृत किया जाता है।	आंशिक स्वीकृत
12	37, 38, 39, 40, 41	कविल पुत्र रामकिशन वार्ड नं० 6 कनला नगर रेवाड़ी।	वार्ड नं० 27 से 26 वार्ड में दर्ज करवाने बारे।	गलती से फार्म नं 28 भरने बारे में इस कारण से फार्म रिजक्ट होने बारे में तथा फार्म क भरने बारे में	अपीलार्थी सुनवाई के समय अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी द्वारा क सं 37, 38, 39, 40, 41 के फार्म क' प्रस्तुत किए गए हैं। इन पर भी एलओ से रिपोर्ट ली गई तथा तदनुसार अपील में उठाई गई बात ठीक पाई गई। अतः इनकी अपील स्वीकृत की जाती है।	स्वीकृत

13	मनीष गुप्ता पुत्र श्री शिव कुमार गुप्ता पं नं 7474 मईरवा बंधारवा, रेवाड़ी।	वार्ड नं० 9 व वार्ड नं० 17 की बाकी संख्या में दोटों को वार्ड नं० 18 में आलने बारे में एतराज कराने हेतु। रिवाइजिंग अधीरिटी कम-जग-माउन्ट अधिकासी (ना०) रेवाड़ी के पत्र क्रमांक 711/स्थानीय दिनांक 08/03/2018 द्वारा प्रार्थी की शिकायत निवी नो मानकर सामान्य तौर पर मानी गई है तथा समय के बाद मानी	अपीलार्थी द्वारा 265 वोट के बारे में आपत्ति दी गई जिनको वार्ड नं० 9 व 17 से वार्ड नं० 18 में गलती को सुधारते हुए तबदील करने की मांग की गई। अपीलार्थी ने बताया कि उसने रिवाइजिंग अधीरिटी के समक्ष भी आपत्ति दर्ज की थी जो कि खारिज कर दी गई थी। अपीलार्थी की आपत्ति के सम्बन्ध में नगरपरिषद रेवाड़ी की ओर से	अस्वीकृत
----	--	--	---	----------

Luix

14	गुरुदायाल सिंह नगरपालिका वार्ड नं-0 12 रेवाडी ।	वार्ड नं-0 20 से वार्ड नम्बर 12 में वोट तबदील करे ।	गर्द है । इसलिए इस पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।)	<p>उपस्थित श्री अजय सिक्का, पालिका अभियन्ता व श्री रामरत्न लोहिक, नगरपरिषद रेवाडी ने कहा कि वार्डबन्दी के नक्शा तथा नोटिफिकेशन के आधार पर आपत्ति में कहीं गर्द बात उभार प्रतीत होती है ।</p> <p>Haryana Municipal Election Rules 13 का अवलोकन किया गया । नियम 13 तथा प्राकृतिक न्याय के दृष्टिगत सभी सम्बन्धित 286 मतदाताओं को 24 घण्टे का नोटिस दिया गया जिनमें से 201 नोटिस को नौके पर सम्बन्धित मतदाताओं से प्राप्त से ती गर्द थी तथा नौके पर 3 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है तथा 38 मतदाता नौके पर नहीं पाये गये तथा 44 नोटिस को सम्पा करवा दिया गया है व स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी सभी को सूचित किया गया । नोटिस के सम्बन्ध में 117 मतदाताओं द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया । जिनमें से 116 मतदाता द्वारा ई-मेल व 01 दफ्ती द्वारा जवाब प्राप्त हुआ । सभी मतदाताओं द्वारा जवाब दिया गया है कि उन सभी को वार्ड नं-0 18 में ही रखा जाये । स्थिति को स्पष्ट करने हेतु नगराधीन रेवाडी, पालिका अभियन्ता, नगरपरिषद रेवाडी व श्री अनिल कुमार लोहिक, नगरपरिषद रेवाडी द्वारा पुनः सम्बन्धित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तथा वर्धित मतदाताओं की रैल्पन वीकेंग की गर्द इसके आधार पर यह पाया गया कि जो मतदाता वार्ड नं-0 9, 17 से वार्ड नं-0 18 में ही आता है । अभीत के आधार पर वडी सख्या में लोगों को कम सम्पद देते हुए नोटिस दिये गये थे । संभव है कि इसी कारण सभी लोग अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकें । किन्तु नोटिस के थिरुद दर्ज की गर्द आपत्तियों तथा मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि अधीनार्थी द्वारा उदर्द गर्द बात उभार नहीं है । अतः अधील अरधीकृत की जाती है ।</p>	स्थीकृत
----	---	---	---	--	---------

Ans

15	<p>हर्मन सैनी पुत्र श्री शैलेश सैनी निवासी</p>	<p>एसायड बाबत रिवाइज्ड मतदाता सूची बार्ड नं० 18, साल 2018 में बार्ड नं० 9 व बार्ड नं० 17 की लगभग</p>	<p>रेवाडी ने कहा कि बार्डबन्दी के नक्शा तथा नोटिफिकेशन के आधार पर आपत्ति में कोई गर्इ बात उचित प्रतीत होती है। Haryana Municipal Election Rules 13 का अवलोकन किया गया। मेरा विचार है कि अपीलार्थी द्वारा वर्णित वोट भूलवश बार्ड नं० 12 के स्थान पर बार्ड नं० 20 की वोट लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं तथा इनको ठीक ना किया जाना अनिष्ट के विरुद्ध होगा। नियम 13 तथा प्राकृतिक न्याय के दृष्टिगत सभी सम्बन्धित 109 मतदाताओं को 24 घण्टे का नोटिस दिया गया जिनमें से 88 नोटिस को भौके पर सम्बन्धित मतदाताओं से प्राप्ति से ली गई थी तथा 21 नोटिस को भौके पर सम्बन्धित मतदाताओं के ना मिलने पर बसा करा दिया गया था तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सभी को सूचित किया गया। नोटिस के सम्बन्ध में किसी भी मतदाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः मैं अपील में उठाई गई आपत्ति के आधार पर वर्णित मतदाताओं को बार्ड नं० 12 से बार्ड नं० 20 में स्थानान्तरित करना है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा 38 वोट के आधार पर वर्णित मतदाताओं को बार्ड नं० 20 के बार्ड नं० 12 में आर में आपत्ति दी गई जिनको बार्ड नं० 12 से बार्ड नं० 20 में गलती को सुधारते हुए तबवील करने की मांग की गई। अपीलार्थी ने बताया कि उसने रिवाइजिंग अथॉरिटी के सम्मक्ष भी आपत्ति दर्ज की थी जो कि खारिज कर दी गई थी। अपीलार्थी की आपत्ति के सम्बन्ध में नगरपरिषद रेवाडी की ओर से उपस्थित श्री जयसिंका, पारिकर अश्विन्दा व श्री रामरत्न लिपिच, नगरपरिषद रेवाडी ने कहा कि बार्डबन्दी के नक्शा तथा नोटिफिकेशन के आधार पर आपत्ति में कोई गर्इ बात उचित प्रतीत होती है। Haryana Municipal Election Rules 13 का अवलोकन किया गया। मेरा विचार है कि अपीलार्थी द्वारा वर्णित वोट भूलवश बार्ड नं० 20 के स्थान पर बार्ड नं० 12 की वोट लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं तथा इनको ठीक ना किया जाना अनिष्ट के विरुद्ध होगा। नियम 13 तथा प्राकृतिक न्याय के दृष्टिगत सभी सम्बन्धित 38 मतदाताओं को 24 घण्टे का नोटिस दिया गया जिनमें से 36 नोटिस को भौके पर सम्बन्धित मतदाताओं से प्राप्ति ले ली गई थी तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सभी को सूचित किया गया। नोटिस के सम्बन्ध में किसी भी मतदाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः मैं अपील में उठाई गई आपत्ति के आधार पर वर्णित मतदाताओं को बार्ड नं० 12 से बार्ड नं० 20 में स्थानान्तरित करना है।</p>
			<p>असतीकृत</p>

2013

17	विजय	कोटर नगरपालिका क. नं. 1520, 1521, 1522, 1550 को वार्ड	<p>मं. नं. 6420 मीहल्ला बडा तालाव रेखाडी।</p>	<p>250-300 कटो का पूर्व नगर पार्करी से मिली भग्ना करके गलत व खिलाफ धामार्ग रूप से भग्नात्ता सूची में शामिल करने बारे व वार्ड वन्दी वर्ष 2013 के मुताबिक भग्नात्ता सूची दुबलत करने बारे।</p>	<p>भाग की गई। अपीलार्थी ने बताया कि उसने विवादित अर्थात्सिटी के समक्ष भी आपत्ति दर्ज की थी जो कि खारिज कर दी गई थी। अपीलार्थी की आपत्ति के सम्बन्ध में नगरपरिषद रेखाडी की ओर से उपस्थित श्री अजय सिग्गा, पालिका अभियन्ता व श्री रामलाल लिपिक, नगरपरिषद रेखाडी ने कहा कि वाइरन्दी के नक्शा तथा नोटिफिकेशन के आधार पर आपत्ति में कही गई बात उचित प्रतीत होती है। अपीलार्थी द्वारा जो आपत्ति दर्ज कराई गई है, वह सभी आपत्तियाँ पहले ही मनीष गुप्ता पुत्र श्री शिव कुमार गुप्ता मं. नं. 7474, मीहल्ला डेवडावा, रेखाडी द्वारा इन्ही वोटों के बारे में आपत्ति दर्ज की है।</p> <p>Haryana Municipal Election Rules 13 का अवलोकन किया गया। नियम 13 तथा प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण सभी सम्बन्धित 266 भग्नात्ताओं को 24 घण्टे का नोटिस दिया गया जिनमें से 201 नोटिस को भौके पर सम्बन्धित भग्नात्ताओं से प्राप्ति ले ली गई थी तथा भौके पर 3 भग्नात्ताओं को मृत्यु हो चुकी है तथा 28 भग्नात्ता भौके पर नहीं पाये गये तथा 44 नोटिस को धरणा कराया दिया गया है व स्थायीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी सभी को सूचित किया गया। नोटिस के सम्बन्ध में 117 भग्नात्ताओं द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया। जिनमें से 116 भग्नात्ता द्वारा ई-मेल व 01 दस्ती द्वारा जवाब प्राप्त हुआ। सभी भग्नात्ताओं द्वारा जवाब दिया गया है कि उन सभी को वार्ड नं. 18 में ही रखा जाये। स्थिति जो स्पष्ट करने हेतु नगरपरिषद रेखाडी, पालिका अभियन्ता, नगरपरिषद रेखाडी व श्री अनिल कुमार लिपिक, नगरपरिषद रेखाडी द्वारा पुनः सम्बन्धित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तथा वर्णित भग्नात्ताओं की रेन्डम चीकन की गई इसके आधार पर यह पाया गया कि जो भग्नात्ता वार्ड नं. 9, 17 से वार्ड नं. 18 में गलत स्थानान्तरित करने बारे अपील दापर की गई है वह वार्ड नं. 18 में ही आता है। अपील के आधार पर व्ही संख्या में लोगों को काम समाप्त देते हुए नोटिस दिये गये थे। संभव है कि इसी कारण सभी लोग अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा सके। किन्तु नोटिस के विरुद्ध दर्ज की गई आपत्तियाँ तथा मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उठाई गई बात उचित नहीं है। अतः अपील अस्वीकृत की जाती है।</p>
16	राजेश कुमार	वार्ड नं. 18 से वोट वार्ड नं. 17 में कराने हेतु।			अस्वीकृत
17	विजय	कोटर नगरपालिका क. नं. 1520, 1521, 1522, 1550 को वार्ड			अस्वीकृत

		22 से 23 में कारणों वारे में		
18	सुनीता शर्मा फर्जी राकेश घाट नं० 4 मी० अनन्त नगर, रेवाड़ी।	घोट कटने वारे में।	कम-उप-मण्डल अधिकारी (नग) रेवाड़ी द्वारा दी गई आपत्ति रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का आपत्ति फार्म दर्ज नहीं पाया गया है। इसलिए प्रार्थी की अधील अस्वीकृत की जाती है। प्रार्थी अधील के साथ जांचर नहीं था। रिवाइजिंग अधीरिटी कम-नगराधीश रेवाड़ी द्वारा दी गई आपत्ति रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का आपत्ति फार्म दर्ज नहीं पाया गया है। इसलिए प्रार्थी की अधील अस्वीकृत की जाती है।	अस्वीकृत
19	पुनम पत्नी सतिश आर. डी. घाट नं० 31 फूलपुर रेवाड़ी।	घाट नं० 31 में जनत घोट में से एक घोट काटने वारे।	प्रार्थी द्वारा एक ही घाट में एक साथ एक ही घोट के दो कमांक वारे एलखल किया गया है। Haryana Municipal Election Rules 13 अनुसार अधीलार्थी की अधील को स्वीकृत किया जाता है।	स्वीकृत

अधीरिटी अधीरिटी एवं उपायुक्ता रेवाड़ी।